न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 147 /2014–15 अन्तर्गत धारा 333 जेड0ऐ0एल0आर0एक्ट

श्री रमेश चन्द्र पुंत्र श्री फकीर चन्द्र, निवासी ग्राम गुजराड़ा, पोस्ट–गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

बनाम

1. श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्री दर्शन लाल निवासी ग्राम गुजराड़ा, पोस्ट गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून 2. श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार निवासी मार्फत श्री राधा किशन, ई/18, सैनिक स्कूल, कपूरथला, पंजाब 3. मा0 रजत नाबालिग द्वारा माता एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती माया देवी पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार निवासी मार्फत श्री राधा किशन, ई/18, सैनिक स्कूल, कपूरथला, पंजाब 4. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून 5. ग्रामसभा गुजराड़ा द्वारा ग्राम प्रधान ग्रामसभा गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0 जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री एल0आर0 डंगवाल।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा उनके सम्मुख गतिमान वाद संख्या–19/2009–10 अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम रमेश चन्द्र बनाम अनिल उनियाल आदि में पारित वादी/निगरानीकर्ता के वाद पत्र में संशोधन विषयक प्रार्थना पत्र दिनांक 26–05–2015 पर आदेश दिनांक 22–06–2015 के विरूद्व संस्थित की गई है।

निगरानी की संक्षिप्त पृष्ठ भूमि इस प्रकार है कि :–

वादी/निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 29–03–2010 को एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम भूमि पुराना नम्बर–514 नया नम्बर–590 क्षेत्रफल लगभग 12 बिस्वा मौजा गुजराड़ा, परगना व जनपद देहरादून के सम्बन्ध में इस आधार पर योजित किया गया कि उसने उक्त भूमि दिनांक 09–03–1982 को उत्तरदाता/प्रतिवादीगण श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व0 दर्शन लाल उनियाला व अनिल कुमार तथा राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण स्व0 दर्शन लाल उनियाल सभी निवासीगण गुजराड़ा से एक रसीद के द्वारा कय कर ली थी एवं कालान्तर में सम्बन्धित प्रतिवादी/उत्तरदातागण द्वारा उक्त कय रसीद के आधार पर वादग्रस्त भूमि का पंजीकृत विकय करने से इन्कार कर दिया गया। वादी ने तद्नुसार स्वंय को विवादित भूमि का भूमिधर घोषित किये जाने की प्रार्थना की।

वाद की कार्यवाही में उभय पक्ष के अभिवचन प्रस्तुत हो चुके हैं। विवाद्यक स्थिरीकृत किये जा चुके हैं एवं मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही आरम्भ होनी है। विद्वान सहायक कलेक्टर ने वाद पत्र संशोधन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से इस आशय से स्वीकार किया कि वाद का आधार एक गैर पंजीकृत लेख दिनांक 09–03–1982 है जिसके कम में विलेख के निष्पादन न होने के कारण वाद योजित किया गया है।

संशोधन प्रार्थना पत्र के शेष अंश को संशोधन में स्वीकार नहीं किया गया है। इसी आदेश के विरूद्व वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि आदेश–6 नियम–17 दीवानी प्रकिया संहिता के अन्तर्गत वाद में संशोधन स्वीकार किये जाने योग्य है एवं ऐसे संशोधन से उत्तरदातागण को कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि उन्हें ऐसे संशोधन के विरूद्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर मिलेगा। दूसरी ओर उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादी/निगरानीकर्ता कभी सहखातेदार नहीं रहा। वादग्रस्त भूमि सम्बन्धित उत्तरदातागण की पैतृक सम्पत्ति है एवं कथित रसीद रू0 440–00 की है जबकि वाद में पत्र में रू0 750–00 की लिखी गई है, अतः निगरानी अस्वीकृत होने योग्य है।

सर्वप्रथम वाद पत्र का अवलोकन आवश्यक है। वाद पत्र में रसीद दिनांक 09–03–1982 जिसके अन्तर्गत कथित रूप से उत्तरदातागण एवं उनके पूर्व पुरूषों से वादग्रस्त भूमि कय की गई थी को ही वादी ने अपने भूमिधरी अधिकारों का आधार माना है। तद्नुसार मूल वाद पत्र में प्रतिकूल अध्यासन का आधार नहीं प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जो विवाद्यक स्थिरीकृत हुए हैं उनमें भी कथित कय रसीद के आधार पर ही वादी को भौमिक अधिकार प्राप्त होने सम्बन्धी विवाद्यक स्थिरीकृत हैं।

संशोधन प्रार्थना पत्र में प्रतिकूल अध्यासन का आधार लिया गया है। तद्नुसार वाद कारण वृहद् अर्थों में परिवर्तित हो रहा है, वह भी वाद योजन के लगभग 05 वर्षों के उपरान्त, जो कि स्पष्ट रूप से पश्चात कल्पना (after thought) है। आदेश–6 नियम–17 दीवानी प्रकिया संहिता में वही संशोधन स्वीकार किया जायेगा जो कि पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के निर्धारण/अवधारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो। तद्नुसार वाद पत्र संशोधन के द्वारा वाद की प्रकृति, वाद का आधार अथवा वाद कारण संशोधित नहीं किया जा सकता है।

कथित अपंजीकृत विकय लेख दिनांक 09–03–1982 के आधार पर भूमिधरी अधिकारों का वाद योजित कर लगभग 05 वर्ष बाद प्रतिकूल अध्यासन सम्बन्धी एक नया आधार प्रस्तुत अभिवचन संशोधित करना वाद के मूल आधार का परिवर्तित करने के समान है। वाद पत्र का संशोधन मूल वाद को मौलिक रूप से परिवर्तित नहीं कर सकता। ऐसा करना वाद कारण को बदलने जैसा होगा जो कि विधितः मान्य नहीं है। एक वाद कारण के आधार पर वाद पूर्व कार्यवाही, यथा धारा–80 सी0पी0सी0 का नोटिस कर अब वाद के अभिवचन आमूल चूल रूप से परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। विद्वान सहायक कलेक्टर ने संशोधन प्रार्थना पत्र के तत्सम्बन्धी अंश को अस्वीकार कर न तो कोई तात्विक अथवा विधिक अनियमितता की है। निगरानी स्वीकार होने योग्य नहीं है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में निगरानी अस्वीकृत की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 02–03–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।